वादी द्वारा अधिवक्ता श्री प्रमोद स्वामी प्रतिवादी क 1 द्वारा अधिवक्ता श्री एस.एस श्रीवास्वतव। प्रतिवादी क 2 एकपक्षीय

प्रतिवादी क 1 नें वादी के आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी का लिखित जवाब न देना व्यक्त कर मौखिक तर्क करना व्यक्त किया।

उभयपक्ष के तर्क आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी पर श्रवण किये गय।

प्रकरण प्रतिवादी साक्ष्य की स्टेज पर है। वादी नें आवेदन अंतर्गत आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी प्रस्तुत कर अभिवचन किया है कि वादी अब कोइ कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वाद वापिस लिये जाने का निवेदन किया है।

प्रतिवादी क 1 नें व्यक्त किया है कि इसही वादकारण पर पुनः वाद लाने की अनुमति के बिना वादी को वाद वापिस लेने में उन्हें आपत्ति नहीं है।

उभयपक्ष को सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया

गया 🖰

वादी ने वाद वापस लेने का कोई कारण नहीं बताया है और न ही कोई त्रुटि वाद में स्पष्ट की है। परन्तु वाद प्रत्याहरण की प्रार्थना की है और पुनः इसही वादकारण पर वाद लाने की मंशा व्यक्त नहीं की है। अतः वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है। वादी को आदेश 23 नियम 1 सी.पी.सी के अधीन इस वादहेतुक पर पुनः वाद लाने की अनुमति के बिना वाद प्रत्याहरण की अनुमित दी जाती है। वाद प्रत्याहरित किया गया। वाद प्रत्याहरण किए जाने के परिणामस्वरूप वाद निरस्त किया जाता है।

उभयपक्ष अपना व्यय स्वयं वहन करेगे जिसमें अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर सूची अनुसार जोडी जावे।

व्यय तालिका बनायी जावे।

प्रकरण परिणाम अंकित कर अभिलेखागार भेजा जावे।

सही / – गोपेश गर्ग प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग2 गोहद जिला भिण्ड ATTHORY PRENTY BUTTING TO STATE OF STAT

All the total th